प्रेस नोट दिनांक 24–09–2020

थाना मिर्जापुर व क्राइम ब्रांच, सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा ट्रक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश करते हुये ट्रक ड्राईवर को किया गिरफ्तार, कब्जे से ट्रक बिक्री के 80,000/–रुपये नगद, ट्रक का इंजन, चेचिस, टायर, रिम आदि पार्टस बरामदः–

अवगत कराना हैं, कि दिनांक 23–09–2020 को मौ0 नौमान पुत्र फुरकान निवासी गढी दौलत थाना कांधला, शामली द्वारा थाना मिर्जापुर पर लिखित तहरीरी सूचना दी कि मैने अपना ट्रक नं0 यूपी 19 टी–4328 को शामली के रहने वाले खलील नाम के व्यक्ति से खरीदा था तथा ट्रक चलाने के लिये मैने जब्बार **(दूर का रिश्तेदार)** पुत्र कामिल निवासी मैनपुरा थाना गंगोह, सहारनपुर को दिया था। इसके साथ–साथ शपथ–पत्र भी तैयार कराया था कि ट्रक की 29 किस्त जब्बार अदा करता रहेगा। मैने जब्बार को किस्त जमाने करने को कहा तो वह टाल मटोल करता रहा। जिस पर मैने जब्बार के भाई गफ्फार को किस्त जमा कराने को कहा तो मुझे धमकी दी कि तेरा ट्रक व तुझे भी गायब कर देगे। दिनांक 23–09–2020 को थाना गंगोह, सहारनपुर के रहने वाले शहजाद ने बताया कि जब्बार ने गफ्फार पुत्र कामिल, शाबिर पुत्र उमरा उर्फ उमरदीन निवासीगण मैनपुरा थाना गंगोह, सहारनपुर के साथ मिलकर ट्रक को धोखा देने के नियत से विश्वासघात कर बदनियती से सुहेल पुत्र छोटा निवासी मौ0 इन्दिरा चौक थाना मण्डी, सहारनपुर से मिलकर 03 दिन पहले सहारनपुर में कटवा दिया हैं **तथा झूठा षड़यन्त्र रचकर दिनांक 23–09–2020 को सैन्ट्रो कार सवार 04 युवको द्वारा बंधक बनाकर नगदी व ट्रक को लूटने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 295/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत करा दिया हैं।** जिस पर मैने गोगामाड़ी जहां मेला लगता है उधर सुहेल कबाड़ी के यहां देखा तो मेरा ट्रक कटा हुआ पड़ा था। पीड़ित द्वारा दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 297/2020 धारा 420, 406, 409 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना मिर्जापुर पुलिस के साथ–साथ क्राइम ब्रांच टीम को भी लगाया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 24–09–2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के अथक प्रयासो से उपरोक्त मुकदमें के मुख्य अभियुक्त जब्बार पुत्र कामिल निवासी मैनपुरा थाना गंगोह, सहारनपुर को ट्रक बिक्री के 80,000/–रुपये सहित समय रात्रि 03:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर ट्रक का इंजन, चेचिस, 10 टायर, रिम आदि ट्रक के पार्टस बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना मिर्जापुर पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–जब्बार पुत्र कामिल निवासी मैनपुरा थाना गंगोह, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–ट्रक बिक्री के 80,000/–रुपये।

2–ट्रक का इंजन।

3–चेचिस।

4–10 टायर, रिम आदि ट्रक के पार्टस।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मैने ट्रक की किस्त से बचने के लिये अपने भाईयो के साथ मिलकर षड़यन्त्र के तहत ट्रक को सुहेल कबाड़ी को 02 लाख 30 हजार रुपये में बेंच दिया था। जिसमें से 80,000/–रुपये उसने मुझे दिये थे तथा बाकि के रुपये ट्रक काटने व बेचने पर देने को कहा था तथा मैने नौमान उपरोक्त को धोखा देने की नीयत से थाना मिर्जापुर पर लूट का झूठा मुकदमा लिखवाया था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं। अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित् की जायेगी। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री बिरेशपाल गिरी, थानाध्यक्ष मिर्जापुर, सहारनपुर।

2–व0उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री जयवीर सिंह, प्रभारी स्वाट टीम, सहारनपुर मय फोर्स।

4–उ0नि0 श्री अजब सिंह, प्रभारी सर्विलान्स सेल, सहारनपुर मय फोर्स।

5–उ0नि0 श्री अजय प्रसाद गौड़, प्रभारी अभिसूचना विंग, सहारनपुर मय फोर्स।

6–उ0नि0 श्री सत्यवीर अत्री, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

7–आरक्षी 39 अंकित धामा, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

8–आरक्षी 138 राहुल कुमार, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।